


# कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार ।

## आम सूचना

एतत् द्वारा बालुमाथ एवं चन्दवा प्रखण्ड में जिला परिषद कार्यालय से निर्मित दूकानों के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा माह फरवरी 2018 तक का व्यवसायिक दूकान का किराया अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा नहीं किया गया उन्हे निश्चित रूप से दिनांक 15.03.2018 तक जमा कराने का निर्णय लिया गया है

अतः प्रखण्ड चन्दवा एवं बालुमाथ में आवंटित दूकानदारों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.03.2018 तक अपना दूकान का सम्पूर्ण किराया जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवंटित दूकान को रद्द करते हुए लोकमांग वसूली की सुसंगत धाराओं के तहत किराया वसूल किया जाएगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, लातेहार।